



**डॉ. स्वतन्त्र जैन**

सेवानिवृत्त प्रो. मनोवैज्ञानिक विभाग  
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय


## जब बाबूजी ने अपनी पहली गिरफ्तारी दी

कितना अंतर था बापू के सत्याग्रह और आज-कल के आन्दोलनों में?

**आ**ज सहसा ही स्मृति 77 वर्ष पीछे लौट जाती है जब हमारे बाबूजी (बाबू मूल चन्द जैन) ने अपने पैतृक गांव सिकंदरपुर माजरा (गोहाना) से 6 मार्च सन् 1941 को अपनी पहली गिरफ्तारी दी थी। कितना अंतर था उस समय के सत्याग्रह और आज-कल के आन्दोलनों में? बापू गान्धी ने जब सन् 1940 में गाँधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया तो सत्याग्रह का अर्थ ही निराला था, “सत्य पर अहिंसक मार्ग से आग्रह पूर्वक डटे रहना।” एक किस्म से सत्य मार्ग के लिये यह अहिंसा का प्रयोगात्मक रूप है। गान्धीजी की मानवता और पूरे विश्व को सत्याग्रह की यह अनोखी देन थी। उन्होंने आत्मिक बल को सार्वभौमिक प्रयोग का एक अद्भुत शस्त्र बना दिया था। जिसके विरुद्ध सत्याग्रह करना हो, ना उससे कुछ छिपाना है, ना उसके प्रति कोई द्वेष भाव या क्रोध का भाव रखना, बस अपने को कोई किसी किस्म की हानि के भय के बिना, जिसे आप सत्य व ठीक समझते हैं, उस पर डटे रहना है। सत्याग्रही को ना किसी से डरना और ना किसी को डराना होता है। इसी लिये यह कार्यों का शस्त्र ना हो कर वीरों का शस्त्र है।” परन्तु खेद की बात है कि आज सत्याग्रह के नाम पर तोड़-फोड़, आगजनी और गाली-गलौच और चिरोधियों की ऐसी-तैसी।

हमारे बाबूजी, जो मन, वचन और कर्म से जीवन भर सच्चे अहिंसक सत्याग्रही रहे, तो बापू के ऐसे अद्भुत आंदोलन के विचार से ही खिल उठे क्योंकि यह आन्दोलन इतिहास में अद्वितीय था। जिसका जी चाहे वह इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। इसमें भाग लेने के लिए व्यक्ति को गाँधी जी से अनुमति लेनी पड़ती थी और अनुमति देने के लिए गाँधी जी ने कड़ी शर्तें लगा रखी थी। अर्थात् सत्याग्रह में भाग लेने वाले को सत्य, अहिंसा, व अस्तेय का अपने जीवन में अभ्यास, खदर पहनना, चरखा कातना, शराब आदि, अहिंसा में विश्वास रखना, स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए शांतिमय तरीकों पर विश्वास रखना, रचनात्मक कार्यों में आस्था रखना आदि। विधि अनुसार सत्याग्रह में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को एक फार्म भरना पड़ता था, जिस पर सभी शर्तें लिखी होती थी। जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस सिफारिश करती थी। तब जाकर गांधी जी सत्याग्रह की अनुमति देते थे। हल्की सी हिंसा या तोड़-फोड़ होने पर बापू सत्याग्रह रोक देते थे, किन्तु आज कोई भी नेता किसी की जिम्मेवारी नहीं लेता। इसके चिपरीत वे हिंसा व तोड़-फोड़ व आगजनी के लिये उकसाते हैं।

गिरफ्तारी के समय ग्रामीणों की ओर



**महान स्वतंत्रता सेनानी एवं गांधीवादी बाबू मूलचंद जैन**

से भाव-भीनी विदाई: बाबूजी आरम्भ से ही गांधीवादी विचारों के थे। उक्त सभी शर्तों पर वे पहले से ही अमल करते थे। इसलिए इनको सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति जल्दी से मिल गई और 6 मार्च सन् 1941 को उन्होंने ने अपनी जन्मभूमि ग्राम सिकन्दरपुर माजरा में ही सत्याग्रह शुरू किया। गांव की चौपाल और उसके निकट सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। भव्य नजारा था। ऐसा प्रतीत होता था कि सारे ग्रामवासी अपने गांव के बहादुर बांके जवान को अलविदा करने नहीं वरन अपना आशीर्वाद देने आए हों। बाबूजी डी. सी. रोहतक को पहले ही नोटिस दे चुके थे कि वे अपने गांव में 6 मार्च को एक बजे विश्व युद्ध में भारत की ओर से भाग लेने के विरुद्ध जनता को सम्बोधित करेंगे, इसलिए पुलिस भी काफी संख्या में आई हुई थी। अन्य साथियों के भाषणों के पश्चात् बाबूजी ने भाषण देना शुरू किया ही था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी ग्रामवासियों विशेषकर महिलाओं की आंखों में आंसू थे। किन्तु बाबूजी की आंखें खुशी और गर्व से यह सोच कर चमक रही थी कि अन्त में ऐसी शुभ घड़ी आ गई जिसकी उन्हें बेसब्री से प्रतीक्षा थी। सभी ने उन्हें भाव-भीनी विदाई दी। उन्हे रोहतक जेल में बन्द कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें ‘भारतीय सुरक्षा कानून’ के उल्लंघन के आरोप में एक साल कैद की सजा दे दी। जेल जाने से

पहले उन्होने यह भी नहीं सोचा कि उनके तीन बच्चे और उनकी पत्नी का क्या बनेगा? चूंकि हमारी दादी व उनकी माता ऐसे रूढ़िवादी विचारों की थी जो यह सोचती थी कि उनके बेटे की सब मुसीबतों का कारण उनकी बहू ही थी, इसलिये उन्होंने हमारी मां तथा उनके तीन छोटे-छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया और वे रोते बिलखते अपने मायके के लिये पैदल ही चल दी। यह गौर करने वाली बात है कि किसी भी सत्याग्रही का अविवाहित होते जेल जाना और विवाहित होते जेल जाने में बहुत अन्तर है। और खासकर तब जब कि परिवार साधनहीन हो। ऐसे में बाबूजी जैसे विवाहित युवा के जेल जाने से पत्नी, बच्चों और माता-पिता पर क्या गुजरती है, इसका वर्णन करना आसान नहीं।

वकील होने के नाते बाबूजी को बी क्लास दी गई और गुजरात जेल, पाकिस्तान भेज दिया गया। गुजरात जेल में इन्हें पंजाब, दिल्ली और सिंध प्रदेश के बड़े नेताओं जैसे श्री भीमसेन सच्चर, पंडित श्रीराम शर्मा, डॉ. सत्यपाल, लाला देश बन्धु गुसा, आसफ अली, चोयथ राम गिडवानी आदि से सत्संग का सौभाग्य मिला। बाबूजी उन दिनों भी कॉलेज के दिनों की तरह डायरी लिखा करते थे। गुजरात जेल में लिखी अपनी डायरी में बाबूजी ने चर्चा की है कि “मैं नहीं जानता कि देश कब आज़ाद होगा परन्तु निजी तौर पर सत्याग्रह में भाग लेने से मुझे अवश्य लाभ हुआ है।”